

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/ 583

Date: 09-3-2019

आदेश

एनएचएम अन्तर्गत संविदा अकाउन्टेन्ट के पद पर कार्यरत निम्न संविदा कार्मिको का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(IV) में निहित प्रावधानो के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

क्रसं.	नाम व पदनाम	रिलोकेशन कहां से	रिलोकेशन कहां को
1.	मनीष बंसल अकाउन्टेन्ट	पीएचसी जाखलावाली, श्रीगंगानगर	सीएचसी रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
2.	विनोद कुमार अकाउन्टेन्ट	सीएचसी रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ	आदर्श पीएचसी राहोली, ब्लॉक निवाई, टोंक
3.	दीपक कुमार त्रिवेदी अकाउन्टेन्ट	सीएचसी ओगणा ब्लॉक झाडोल फलासिया, उदयपुर	पीएचसी भूताला, ब्लॉक बडगाव, उदयपुर
4.	रवि कुमार शर्मा अकाउन्टेन्ट	ब्लॉक छबड़ा, बारां	पीएचसी परिता, ब्लॉक करौली, करौली (संशोधित)
5.	विजय यादव अकाउन्टेन्ट	पीएचसी शिशोद, ब्लॉक बिछिवाड़ा, डूंगरपुर	पीएचसी गण्डाला, ब्लॉक बहरोड़, अलवर
6.	रोहिताश अकाउन्टेन्ट	पीएचसी केहरपुरा कलां, ब्लॉक चिड़ावा, झुझुनू	पीएचसी भडौदाकलां, ब्लॉक चिड़ावा, झुझुनू (संशोधित)
7.	धनपत कवंर अकाउन्टेन्ट	पीएचसी भडौदाकलां, ब्लॉक चिड़ावा, झुझुनू (संशोधित)	पीएचसी केहरपुरा कलां, ब्लॉक चिड़ावा, झुझुनू (संशोधित)
8.	किरण शर्मा अकाउन्टेन्ट	सीएचसी लवाण, दौसा	सीएचसी पिण्डवाड़ा, ब्लॉक पिण्डवाड़ा, सिरौही (संशोधित)

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, संबंधित जिले।
9. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
10. वर्णित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
11. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम